न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–27 / 2017–18

सुधीर कुमार एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

23/10/18

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0–04 / 2017–18 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा दिनांक–12.06.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है।

प्रथम पक्ष

1. सुधीर कुमार, पिता स्व0 महेन्द्र सिंह
2. संजय प्रसाद, पिता टुन्ना सिंह,
3. राम रतन सिंह, पिता स्व0 शिव नंदन सिंह,
4. रमेश कुमार, पिता राम किशोर सिंह,
5. अवधेश सिंह, पिता स्व0 राम दहीन सिंह,
6. अर्जुन प्रसाद, पिता स्व0 सुखदेव सिंह,
7. मिनदर सिंह, पिता स्व0 दुखी सिंह,
8. रामजी सिंह, पिता स्व0 राधे सिंह,
9. राम लगन सिंह, पिता स्व0 चलीतर सिह, सभी ग्राम–सुकरबेगचक, थाना–खुशरूपुर, जिला–पटना

द्वितीय पक्ष

1. बिहार सरकार
2. बाला राम सिंह,
3. दयानंद सिंह,
4. दनदन सिंह, सभी पिता–स्व0 सरयुग सिंह, ग्राम–सुकरबेगचक, थाना–खुशरूपुर, जिला–पटना

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
खुशरूपुर	सुकरबेगचक	131	123	139, 142, 216, 466, 640, 697, 804	2.22 एकड़

आवेदक का कहना है कि

(1) विवादित भूखण्ड सर्वे खतियान में तुलसी गोप के नाम पर दर्ज है। इस वाद के विपक्षीगण के पूर्वजों के द्वारा विभिन्न केवालों से इस वाद के आवेदकगण को अधिकांश भूखण्ड की बिक्री कर दी गयी। इस वाद के आवेदकगण विवादित भूखण्ड में से खेसरा सं0–216, 697, 142, 640 एवं 466

कुल रकवा 1.73 $\frac{1}{2}$एकड़ पर शांतिपूर्ण दखल में है।

(2) विपक्षी सं0 2, 3 एवं 4 के द्वारा विवादित भूखण्ड के खेसरा सं0 142 रकवा 30डी0, खेसरा सं0–466 रकवा 11डी0 एवं खेसरा सं0 640 रकवा 51डी0 कुल रकवा 92डी0 के दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, खुसरूपुर को आवेदन दिया गया।

(3) अंचलाधिकारी, खुसरूपुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 224/16–17 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी से प्रतिवेदन की मांग की गयी। राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी पूर्व से कायम नहीं है तथा उक्त भूखण्ड पर आवेदकगण का दखल कब्जा नहीं है। राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी, खुसरूपुर के द्वारा दिनांक 15.07.2016 को आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।

(4) अंचलाधिकारी, खुसरूपुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0–224/2016–17 में दिनांक–15.07.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध 09 (नौ) माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात दिनांक–16.05.2017 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0–04/2017–18 दायर की गयी। उक्त अपील के साथ विलम्ब क्षांत करने संबंधी कोई आवेदन नहीं दिया गया।

(5) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा अगले दिन अर्थात दिनांक–17.05.2017 को वाद को ग्रहण करते हुए नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया गया। बिना कोई नोटिस निर्गत किए 12.06.2017 को आदेश पारित करते हुए दाखिल खारिज वाद सं0–224/2016--17 में अंचलाधिकारी, खुसरूपुर के द्वारा दिनांक–15.07.2016 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया। साथ हीं अपीलार्थीगण के पक्ष में दाखिल खारिज कर राजस्व रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया।

(6) दाखिल खारिज अपील वाद सं0–04/17–18 में दिनांक–12.06.17 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा पारित आदेश से अवैध बताते हुए निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

दिनांक–20.01.2018 को राम लगान सिंह, पिता स्व0 चरित्र सिंह के द्वारा आवेदन दिया गया कि विवादित भूखण्ड में से खेसरा नं0 804 रकवा 21डी0 की बिक्री खतियानी रैयत के द्वारा इनके पूर्वज पोखन महतो को कर दी गयी थी। उसी समय से उक्त भूखण्ड इनके दखल–कब्जा में है। उन्हें दाखिल खारिज अपील वाद सं0–04/2017–18 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के

द्वारा पारित आदेश तथा अपर समाहर्ता, पटना के न्यायालय में विचाराधीन पुनरीक्षण वाद की जानकारी मिली तो उनके द्वारा स्वंय को भी इस वाद में पक्षकार बनाने का अनुरोध किया जा रहा है।

दिनांक–07.02.2018 को राम लगन सिंह का आवेदन स्वीकृत करते हुए उन्हें पक्षकार बनाये जाने की स्वीकृति दी गयी।

विपक्षी सं0 2 से 4 की तरफ से कहा गया कि

(1) यह पुनरीक्षण वाद चलने योग्य नही है तथा रद्द करने योग्य है।

(2) विवादित भूखण्ड सर्वे खतियान में तुलसी गोप, पिता बुलक के नाम से दर्ज है। तुलसी गोप को एक मात्र पुत्र सरयुग सिंह हुए। सरयुग सिंह के तीन पुत्र बलराम सिह, दयानंद सिंह एवं दनदन सिंह हुए जो इस वाद के विपक्षी सं0 2 से 4 है। सरयुग सिंह की मृत्यु के उपरान्त उनके तीनों पुत्र (विपक्षी सं0 2 से 4) विवादित भूखण्ड पर दखल में है।

(3) विपक्षी सं0 2 से 4 के द्वारा उतराधिकारी के आधार पर दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, खुसरूपुर को आवेदन दिया गया। कर्मचारी के गलत प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी, खुसरूपुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 224/2016–17 के अन्तर्गत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

(4) अंचलाधिकारी, खुसरूपुर के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0–04/2017–18 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा सुनवाई के उपरान्त दिनांक–12.06.2017 को विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। पुनरीक्षण आवेदन रद्द करने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) इस वाद के विपक्षी सं0 2 से 4 के द्वारा प्रश्नगत खाता सं0 123 खेसरा सं0 142, 466 एवं 640 कुल रकवा 92डी0 के दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया। पूर्वज की जमाबंदी कायम नहीं रहने तथा दखल कब्जा नहीं रहने के प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी, खुसरूपुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 224/16–17 के अन्तर्गत दिनांक–15.07.2016 को आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।

अंचलाधिकारी, खुसरूपुर का दिनांक–15.07.2016 का आदेश उचित एवं विधि सम्मत है।

(2) इस वाद के विपक्षी सं0 2 से 4 के द्वारा अंचलाधिकारी, खुसरूपुर के उक्त आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के न्यायालय में

दाखिल खारिज अपील वाद सं0 04/2017–18 दायर किया गया, परन्तु दाखिल खारिज वाद में सन्निहित भूखण्ड 92डी0 के स्थान पर कुछ अन्य खेसरों को जोड़ कर कुल 2.22 एकड़ भूखण्ड के लिए अपील दायर की गयी।

इस वाद के विपक्षी सं0 2 से 4 के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 224/2016–17 के भूखण्ड से अलग भूखण्ड के लिए अपील दायर की गयी, परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिए बिना आदेश पारित किया गया, जो उचित नहीं है।

(3) दाखिल खारिज वाद सं0 224/2016–17 में राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन है कि विवादित भूखण्ड पर इस वाद के विपक्षी सं0 2 से 4 का दखल कब्जा नहीं है। दाखिल खारिज हेतु दखल–कब्जा सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु होता है, परन्तु दखल–कब्जा का सत्यापन किए बिना भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा अपील वाद सं0 04/2017–18 में इस वाद के विपक्षी सं0 2 से 4 के पक्ष में विवादित भूखण्ड का दाखिल खारिज करने का आदेश पारित किया गया। यह आदेश नियम सम्मत नहीं कहा जा सकता। जब राजस्व कर्मचारी के द्वारा दखल–कब्जा नहीं रहने की बात कही गयी थी तो आदेश से पूर्व भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी को स्वंय स्थल निरीक्षण कर दखल–कब्जा की स्थिति की जाँच करनी चाहिए थी।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में मैं यह पाता हूँ कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0–04/2017–18 में दिनांक–12.06.2017 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः उक्त आदेश को निरस्त करते हुए वाद को पुनः भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि वे उभय पक्ष को सुनकर तथा दखल कब्जा के बिन्दु पर संतुष्ट होकर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

23/10/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

23/10/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना